न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 11/2009

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री लालचन्द जाति अग्रवाल निवासी रेवदर मालिक मैसर्स श्री लालचन्द/मांगीलाल किराणा स्टोर तहसीलदार निवास के सामने रेवदर जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.06.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2009 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी सिरोही के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक रेवदर द्वारा श्री जगदीश अग्रवाल की किराणा की दुकान का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में अप्रार्थी के पास 22 बोरी चीनी अवैध रूप से स्टॉक में पाई गई। जिसे कब्जे सरकार लेकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से चीनी को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब एवं लिखित बहस पेश की गई जिसे शामिल मिसल किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कु[illegible] तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 30.06.2009 को शुद्ध [illegible] अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी सिरोही के ह[illegible] अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसद अग्रवाल पुत्र श्री [illegible] मालिक मै[illegible]लचन्द मांगीलाल की किराणा [illegible]निवास के सामने स्थित[illegible] जांच की गई। उक्त दुकान में किराणा का व्यापार किया जाना पाया गया[illegible] अप्रार्थी से पूछताछ करने पर उसे एक गोदाम के बारे बताया, जो पंचायत समिति रेवदर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

परिसर के पास स्थित है। उक्त गोदाम की तलाशी लेने पर उसमें 22 बोरी चीनी पाई गई। अप्रार्थी से उक्त चीनी के स्टॉक व आवक के बारे में पूछने पर उन्होनें इस चीनी के बिल व स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया। आर.टी.ए.एल. लाईसेंस चीनी के खरीद के बिल न तो गोदाम पर और न ही दुकान पर पाए गए। पूछने पर अप्रार्थी द्वारा कोई बिल व लाईसेंस आदि पेश नहीं किया। चूंकि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नं. 145 दिनांक 12.03.2009 के क्रम में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.04.2009 के खण्ड 4 के अनुसार जिसमें 10 क्विंटल से अधिक चीनी के व्यापार व भण्डारण करने के लिए इस अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर चीनी का भण्डारण व व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। उक्त नोटिफिकेशन के पालना व्यापारी द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे में राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 व नवीन संशोधनों के क्रम में कोई लाईसेंस व बिल इत्यादि के बिना 22 बोरी चीनी पाई जाने कब्जे सरकार लेकर निस्तारण हेतु प्रकरण पेश है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार ली गई चीनी उनके मालिकी का होने से लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी ने उक्त माल को कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी डीसा से जरिए बिल के खरीद किया है एवं जब्ती के समय उक्त बिल को अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया लेकिन उस पर प्रार्थी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। यह है कि प्रार्थी द्वारा उक्त माल को अप्रार्थी के पुत्र श्री दीपक कुमार अग्रवाल की दुकान से जब्त किया गया है एवं राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियत्रंण) आदेश 1980 के तहत श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी रेवदर चीनी के विक्रय करने हेतु लाईसेंसधारी है जिसका लाईसेंस नम्बर 20/2001 है। इस प्रकार जब्त की गई चीनी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार की होने से उनको लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें। यह है कि अप्रार्थी के विरूद्ध कोई मामला नहीं बना था इस कारण उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद न्यायालय में अन्तर्गत धारा 3/7 का प्रस्तुत ही नहीं किया है। इसके सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत एस.बी. क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नम्बर 86/2012 मैसर्स M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan निर्णय दिनांक 30.01.1995 पेश की।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 30.06.2009 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला रसद अधिका[illegible] के हमराह मन प्रवर्तन निरीक्षक रेवदर द्वारा अप्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद [illegible] श्री लालचन्द अग्रवाल निवासी रेवदर मालिक मैसर्स [illegible] मांगीलाल की [illegible]णा दुकान, जो तहसीलदार निवास के सामने स्थित है की जांच की गई। उक्त दुकान में किराणा का व्यापार किया जाना पाया गया। अप्रार्थी से पूछताछ करने [illegible] उसे एक गोदाम के बारे बताया, जो पंचायत समिति रेवदर के परिसर के पास स्थित है। उक्त गोदाम की तलाशी लेने पर उसमें 22 बोरी चीनी पाई गई। अप्रार्थी से उक्त चीनी के स्टॉक व आवक के बारे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पूछने पर उन्होनें इस चीनी के बिल व स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बताया। आर.टी.ए. एल. लाईसेंस चीनी के खरीद के बिल न तो गोदाम पर और न ही दुकान पर पाए गए। पूछने पर अप्रार्थी द्वारा कोई बिल व लाईसेंस आदि पेश नहीं किया। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी ने उक्त माल को कमलेश कुमार एण्ड कम्पनी डीसा से जरिए बिल के खरीद किया है एवं जब्ती के समय उक्त बिल को अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया लेकिन उस पर प्रार्थी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। यह है कि प्रार्थी द्वारा उक्त माल को अप्रार्थी के पुत्र श्री दीपक कुमार अग्रवाल की दुकान से जब्त किया गया है एवं राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियत्रंण) आदेश 1980 के तहत श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल निवासी रेवदर चीनी के विक्रय करने हेतु लाईसेंसधारी है जिसका लाईसेंस नम्बर 20/2001 है। इस प्रकार जब्त की गई चीनी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार की होने से उनको लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें। यह है कि अप्रार्थी के विरूद्ध कोई मामला नहीं बना था इस कारण उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद न्यायालय में अन्तर्गत धारा 3/7 का प्रस्तुत ही नहीं किया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स्वयं एक किराणा की दुकान मैसर्स लालचन्द मांगीलाल जो तहसीलदार निवास के सामने रेवदर में स्थित है, के गोदाम की जांच में उक्त 22 बोरी चीनी को कब्जे सरकार लिया गया है एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लाईसेंस नम्बर 20/2001 जो श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल के नाम से है, जिसकी किराणा की दुकान मैसर्स राजस्थान ट्रेडर्स रेवदर के नाम से है। यह है कि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जो बिल पेश किया गया है वह अप्रार्थी के नाम से जारी किया है न कि श्री दीपक पुत्र श्री जगदीश या उनकी किराणा की दुकान राजस्थान ट्रेडर्स रेवदर के नाम से है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कब्जे सरकार ली गई 22 बोरी चीनी अप्रार्थी श्री जगदीश अग्रवाल की थी। यह है कि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नं. 145 दिनांक 12.03.2009 के क्रम में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.04.2009 के खण्ड 4 के अनुसार जिसमें 10 क्विंटल से अधिक चीनी के व्यापार व भण्डारण करने के लिए इस अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर चीनी का भण्डारण व व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिफिकेशन की पालना नहीं की गई है। उपरोक्त विवेचन एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत एस.बी. क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नम्बर 86/2012 मैसर्स M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan निर्णय दिनांक 30.01.1995 के अवलोकन से यह न्यायालय उक्त माल को जब्त सरकार किया जाना उचित मानता है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की [illegible]/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत प्रार्थी का [illegible] स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 22 [illegible] चीनी को [illegible] (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

चूंकि कब्जे सरकार लिए गए कुल 22 बोरी चीनी के निस्तारण के लिए इस न्यायालय के आदेश क्रमांक/कोर्ट/09/200 दिनांक 04.08.2009 द्वारा जिला रसद अधिकारी सिरोही को लिखा गया था। अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही उक्त राशि को प्रोपर लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाई करे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:11:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner